Government of India
Department of Water Resources, RD & GR
Central Water Commission
Estt.V Section
*****

3rd Floor(S), Sewa Bhawan,
R.K.Puram Sector-1,
New Delhi-110066
Dated: 05th Jan, 2024

To,

Shri Sunny Kumar
Shiva Enclave, Road No. 1, Vrindavan Colony,
Landmark walmi campus,phulwari sharif,
Patna-Pin 801505

Subject: Information under Right to Information Act, 2005– reg.

Sir,

I am to refer to your RTI application bearing Registration No. CWCND/R/E/24/00002 dated 02/01/2024, and to provide the desired information with regard to AD-II/SDE as far as Establishment-V Section, CWC is concerned as under:

Sl No.	Information Sought	Proposed Reply
1	The minimum years of service in Level-6 (Rs. 35400-112400) grade required for promoton to Assistant Grade-II/ Sub Divisional Engineer in Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix for both Jumor Engincers (Civil) holding a 3-year diploma and 4-ycar B.Tech bolder.	As per the Right to Information Act, 2005 CPIO is required to provide information as available with him in the form of OM, Notification, Rules, Regulations, Orders, Letters and Circulars etc. Queries/Clarification or interpretation of information is outside the purview of the Right to Information Act, 2005. The CPIO is not supposed to create information or to interpret information. In this regard, the desired information with regard to AD-II/SDE as far as Establishment-V Section, CWC is concerned is provided in the form of Recruitment Rules (Attached) to the post of AD-II/SDE.
2	What is the minimum years of regular service required for a Diploma Holder Junior Engineer (CiviD in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix for promotion to Assistan Srade-11/Sub Divisional Engineer in Level-7 (Rs. 44900-14240077	
3	Provide the supporting document that contains rules and regulations regarding the minimum years of service for promotion to Assistant Grade-11/Sub Divisional Engineer in Level-7 (Rs. 44900-142400)	

2. In case you are not satisfied with the above reply, an appeal can be preferred to the First Appellate Authority indicated below within 30 days of this letter.

3. This RTI may be treated as disposed of.

Shri Anil Kumar Singh,
Director (Admn),
Central Water Commission,
3rd Floor, Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-110066

Yours faithfully

Signed by R.mahalakshmi
Date: 05-01-2024 12:57:49
Reason: Approved

(R. Mahalakshmi)
Under Secretary (Estt.V)
Tel: 011-29583356

Copy to: -

1. Deputy Director, WSE Directorate, CWC & Nodal Officer-RTI, CWC, New Delhi
2. DD, SMD Dte. CWC with request to upload the letter/reply on CWC website.

सत्यमेव जयते

No. A-12018/7/2017-E.I
भारत सरकार
Government of India
जल शक्ति मंत्रालय
Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, dated the 04th July, 2023

To
The Chairman,
Central Water Commission
Sewa Bhawan, R,K, Puram,
New Delhi-110066

Ms. Seema Juneja,
(Attention: ~~Shri Sachin Dev Verma~~, Under Secretary (Estt.V))

Subject: Amendment of Central Water Engineering Group'B' Services, 2017-reg

Sir,

I am directed to refer to notification dated 18.06.2023 to 24.06.2023 received from Government of India Press wherein Recruitment Rules of the post of AD-II/SDE (CWES Group B) have been notified as G.S.R. no. 68 dated 20.06.2023

2. The notification is forwarded for your information and record.

Yours faithfully,

Encl: As above

Signed by
Anil Kumar Sharma
Date: 05-07-2023 12:17:29

(Anil Kumar Sharma)
Under Secretary to the Government of India
Tele: 23716928

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24062023-246798
CG-DL-W-24062023-246798

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जून 18—जून 24, 2023, शनिवार/ ज्येष्ठ 28—आषाढ़ 3, 1945
No. 23] NEW DELHI, JUNE 18—JUNE 24, 2023, SATURDAY/ JYAISHTHA 28—ASHADHA 3, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जून, 2023

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सिस्टम प्रशासक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सिस्टम प्रशासक, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

	(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and (ii) three years' experience relating to handling of sensitive materials in strong room operations or conduct of examinations in the Central Government or State Government or University or Government recognised research institution or statutory organisation or autonomous organisation. **For Ex-Servicemen :-** **Deputation/Re-employment :** The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis upto the age of superannuation with reference to civil posts. **Note 1**: Only Central Government or State Government or Union Territory Administration Officers shall be eligible for absorption. **Note 2**: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3** : The maximum age for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :– (1.) Additional Secretary (In-charge of Administration), Union Public Service Commission - Chairman (2.) Joint Secretary (In-charge of Administration), Union Public Service Commission - Member (3.) Joint Secretary (In-charge of Confidential Branch), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 39021/02/2023-Estt.B)]

RAJESH SHARMA, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

सा.का.नि.68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह ख सेवा नियम, 2009 को, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय

इंजीनियर के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग में सहायक निदेशक-II/उप- प्रभागीय इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय जल इंजीनियरी, सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-मंडल इंजीनियर (समूह "ख") पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्यर बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंयभ (5) से (13) में विनिर्दिष्टह हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक श्रेणी -II/ उप-मंडल इंजीनियर	354*(2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -7. (44900-142400 रूपये)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 74 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा; और (ii) 26 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।	**प्रोन्नति:-** वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35400-112400 रु.) में के ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुख्य, मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय जल संसाधन परियोजनाओं के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन में, सिविल संरचनाओं के डिजाइन पहलुओं में, जल संसाधन परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच में, हयड्रोलॉजिकल पहलुओं में, जल प्रबंधन में, हयड्रोलॉजिकल पहलुओं और उसके अवलोकन में, माल और सेवाओं के उपापन में चार सप्ताह के अनिवार्य करियर प्रशिक्षण योजना के अनुसार अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कत हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिनहोंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा कानूनी या स्वायत्त संगठन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर (35400-112400 रु.) मे या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; और

			(ii) सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी से संबंधित कार्य में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग ; अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग; - सदस्य 3. सचिव या निदेशक, केद्रीय जल आयोग ;-सदस्य	नियमों में संशोधन या छूट देने के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है। इस नियम में संशोधन के मामले में या शिथिलीकरण के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/07/2017-ई.-I]

भुवनेश्वरी हरिहरन, उप सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 20th June, 2023

G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water Engineering Group B Rules, 2009, in so far as they relate to the post of Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer in the Central Water Commission, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Central Water Engineering, Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer (Group 'B') Post Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether Selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer.	354* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900-142400)	Selection.	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made**
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	(i) 74 per cent. by promotion failing which by deputation (including short- term contract); and (ii) 26 per cent. by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** Junior Engineer (Civil and Mechanical) in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed mandatory training as per Mandatory Career Training Plan of four weeks in techno economic appraisal of major, medium irrigation and multipurpose water resource projects, designs aspects of civil structures, survey and investigation of water resource projects, hydrological aspects, water management, hydrological aspects and its observations, procurement of goods and services, etc., from

			a recognised institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short- term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation or recognised university or recognised institute; (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience- (i) Bachelor Degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University or institute; and (ii) two years experience in work relating to Civil Engineering or Mechanical Engineering. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short- term contract). Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short- term contract) including the period of deputation (including short- term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall not exceed fifty six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2.Director or Deputy Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; and	Consultation with Union Public Service Commission is required in cases of making amendment or relaxation to the rules.

3. Secretary or Director, Central Water Commission – Member.	

[F. No. A-12018/07/2017-E-I]

BHUVANESWARI HARIHARAN, Dy. Secy.

अंतरिक्ष विभाग

नई दिल्ली, 14 जून, 2023

सा.का.नि. 69.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा अंतरिक्ष विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 के अधिक्रमण में, अब तक, जैसा कि वे प्रवर श्रेणी लिपिकों के पद से संबंधित है, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में प्रवर श्रेणी लिपिक पद की भर्ती प्रक्रिया और पदनाम को विनियमित करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. **लघु शीर्षक और आरंभ.**—इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (प्रवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2023 कहा जाए।
2. **पदों की संख्या,वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि.**—उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति,

   क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

   अथवा,

   ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

   किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा

   बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।
5. **छूट देने का अधिकार.**—जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यवहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
प्रवर श्रेणी लिपिक	17*(2023) * कार्य की मात्रा के अनुसार बदल सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 ₹. 25500 – 81100 (6वें के.वे.आ. में रु.2400/- के श्रेणी वेतन के साथ पूर्व-संशोधित वेतन बैंड रु.5200-22100/-)	दोनों